



समझा, श्री नोटरी महोदय, गुमला।  
अवनो कान्ति शर्मा, नोटरी अधिवक्ता  
शापथ पत्र



Serial No. 854/18

- मैं रंथी देवी पति श्री रमेश उरांव उमे 45 वर्ष निवासी ग्राम चेटर अमृतनगर गुमला  
वार्ड नं० 13 धाना व जिला गुमला, झारखण्ड इष्यापथ्मूर्वक व्यान करती हूँ कि:-
1. यह कि उपरोक्त पता की स्थायी निवासी हूँ।
  2. यह कि मेरा खतियानी/खरीदगी ज्मीन मौजा चेटर धाना व जिला गुमला  
धाना नं० 47 अन्दर खाता नं० 05 प्लाट नं० 583 कुल रकबा 0.08  
रु० ज्मीन अवस्थित है। जिसमर मैं शांतिमूर्वक दखनकार रक्कर मालगुजारी  
रसीद हर साल करती हूँ जिसमर मैं नक्शे के आधार पर मकान बनाना चाहती  
हूँ।
  3. यह कि गुमला नगर परिषद गुमला के अधिनियम 427 द्वारा झारखण्ड न्यू नियमित  
द्वारा संचय 2011 के तहत सड़क चौड़ीकरण हेतु 22034 वर्गमीटर ज्मीन  
छोड़कर मकान का चाहरदीवारी बनाऊंगी।

रंथी देवी

### संत्वापन

*afab*  
*Raleen*  
28/8/18

मैं रंथी देवी तसदीक करती हूँ कि उपर लिखा कुल व्यान मेरे जानकारी में सही,  
स्थय वाले कुस्त है मौकाम गुमला।

रंथी देवी

आज दिनांक 28/8/18 को मेरे समझा - रंथी देवी  
ने शापथ्याङ्कन किया जिनका पद्धान श्री - ५० अं०  
अधिवक्ता ने किया है।

क्रम सं० :- 28/8/18  
854/18

नोटरी, जिला-गुमला।

*AWANI KANTI SHARMA*  
28/8/18

AWANI KANTI SHARMA  
(NOTARY)  
Dist. - Gumla